UPBJ010064872023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06074

सेशन्स केस संख्या 1172/2023

राज्य **प्रति** **मतलूब**

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्त मतलूब को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 08.04.2023 को समय 00:00 बजे वहद शराब के ठेके के पास निकट नगर पालिका परिषद बिजनौर थाना कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर की सीमान्तर्गत आपने वादी मुकदमा जयपाल सिहॅ के बडे भाई सोनू की हत्या कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा **302** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा जयपाल सिहॅ के बडे भाई सोनू की हत्या यह जानते हुए की कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य था। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (2) 5** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 27–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 27–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.07.27 16:30:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPBJ010064872023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

सेशन्स केस संख्या 1172/2023

राज्य प्रति मतलूब

27–07–2023

पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्त मतलूब जिला कारागार बिजनौर से न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं.03 बिजनौर में विशेष पी0आई0 पर उपस्थित होना बताया गया जिस पर अभियुक्त को उक्त न्यायालय से तलब किया गया तथा वाद इस न्यायालय में लम्बित होने के कारण इस न्यायालय से भी तलब किया गया था। अभियुक्त मतलूब उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त मतलूब के विरूद्व धारा 302 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 27–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त मतलूब के विरूद्व धारा 302 व धारा 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 10–08–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 27–07–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।